न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
329 / 2025

दायर दिनांक
09.06.2025

निर्णय दिनांक
14.05.2026

उनवान

1. गोपाल पिता स्व0 हरलाल जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. बालकिशन पिता स्व0 हरलाल जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. रामेश्वर पिता स्व0 हरलाल जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमति कंकू पिता हरलाल जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमति फूमा देवी पत्नि हरलाल जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. नन्दलाल पिता रूपलाल जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. भैरू पिता सोला जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. मोहन पिता नानू जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. देवीलाल पिता एकलिंग जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. देवीलाल पिता नाथू जाति बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा कार्यालय भीलवाड़ा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज)।

—— **विपक्षीगण**

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थित:–

1. **अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।**
2. **अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, 05 व 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं।**
3. **अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 श्री शोभागमल कुमावत उपस्थित।**
4. **अप्रार्थी संख्या 07 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

—:: आदेश ::—

निर्णय दिनांक 14/5/26

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 5016 रकबा 0.5690 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा 14/5/26

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, 05 व 06 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, 05 व 06 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 के जवाब का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पुर की आराजी संख्या 5023 रकबा 0.3288 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 04 के नाम दर्ज है, जबकि आराजी संख्या 5016 प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। ग्राम पुर की आराजी संख्या 5023 विपक्षी संख्या 04 के पिता एकलिंग पुत्र किशन बैरवा की क्रयशुदा होकर विपक्षी संख्या 04 को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। ग्राम पुर की आराजी संख्या 5023 को ऑनलाईन राजस्व नक्शे में गलत स्थान पर दर्ज किया हुआ है तथा आराजी संख्या 5016 को आराजी संख्या 5023 के स्थान पर दर्ज कर दिया गया है। पटवारी हल्का के पास उपलब्ध लट्ठा नक्शे में विपक्षी संख्या 04 की भूमि मुख्य सड़क से लगती हुई दर्ज है। ऑनलाईन नक्शे में दर्ज गलत तरमीम को दुरूस्त कराने हेतु विपक्षी संख्या 04 जवाबदाता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 129, 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया जो प्रकरण संख्या 428/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र उनवान देवीलाल बनाम गोपाल दर्ज रजिस्टर होकर सुनवाई पैरोकार है। अतः उक्त प्रकरण के निस्तारण तक तरमीम दुरूस्ती होने तक प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकरान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात होने से पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी होने से पत्थरगढ़ी प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 04 की आराजी संख्या 5023 व प्रार्थी की आराजी संख्या 5016 को ऑनलाईन नक्शे में गलत स्थान पर दर्ज करने से विपक्षी संख्या 04 द्वारा नक्शा दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है जिसके निस्तारण उपरांत ही पत्थरगढ़ी का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से भू–प्रबंध नक्शे के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 5016 रकबा 0.5690 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14-05-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी ...5/26

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा